सं० : 10/2025/618/94-1-2025-312(35)/2023

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

अपर सचिव,
राजस्व परिषद्
उ०प्र० प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनु०-1 **लखनऊ, दिनांक : 27 मार्च, 2025**

विषय- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 03 सितम्बर, 2024 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-16/2024/1356/94-1-2024-312(35)/2023 दिनांक 03.09.2024 द्वारा अचल सम्पत्तियों के अन्तरण/विलेखों में अंकित प्रतिफल/बाज़ार मूल्य पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की धनराशि के अलावा वसूली गयी 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत शासनादेश के प्रस्तर (2)(स) को निम्वत संशोधित किया जाता है :-

(2)(स)स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा नगर निकायों, डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड तथा विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास परिषद् को अन्तरण हेतु बजट व्यवस्था स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अनुदान से कराई जायेगी।

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग द्वारा सम्बंधित संस्थाओं को भुगतान त्रैमासिक आधार पर 04 किश्तों में इस शर्त पर किया जायेगा कि प्रारम्भिक वित्तीय वर्ष के प्रथम एवं द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के पश्चात् तृतीय किश्त तभी अवमुक्त की जाय जब प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बंधित संस्था द्वारा उपलब्ध करा दिया गया हो. इसी प्रकार चतुर्थ किश्त भी तभी अवमुक्त की जाय जब द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो. इसी क्रम में अगले वित्तीय वर्ष की प्रथम किश्त अवमुक्त करने से पूर्व गत वित्तीय वर्ष की तृतीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष की द्वितीय किश्त अवमुक्त करने से पूर्व गत वित्तीय वर्ष की चतुर्थ किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सम्बंधित संस्था द्वारा उपलब्ध करा दिया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गया हो और इसी क्रम के अनुसार आगे भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

2. उपरोक्त सीमा तक शासनादेश सं०-16/2024/1356/94-1-2024-312(35)/2023 दिनांक 03.09.2024 को संशोधित समझा जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शेष शर्तें/प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
6. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
7. आयुक्त, स्टाम्प, उ०प्र० प्रयागराज/शिविर कार्यालय लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन।
11. निदेशक, कोषागार, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनु०-9/वित्त (लेखा) अनु०-2, उ०प्र० शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।